

## प्रेस नोट

### नाजायज तमन्चा व कारतूस के साथ अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी खागा महोदय के कुशल निर्देशन व पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खखरेरु श्री योगेश कुमार के नेतृत्व में बीती रात्रि दिनांक 21/22.09.22 समय करीब 02.15 बजे 30नि0 श्री नरोत्तम सिंह व उनके हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर आलमपुर गेरिया गेट के बाये खम्भे के पश्चिम तरफ वहद ग्राम आलमपुर गेरिया थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर से अभियुक्त रेहान अहमद पुत्र अब्दुल वहाब निवासी अंजनाकबीर थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर को एक अदद नाजायज देशी तमन्चा 12 बोर मय 01 अदद नाजायज जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त से नाजायज तमन्चा व कारतूस की बारामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 216/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुये चालान मा0न्यायालय को किया गया।

### गिरफ्तार, अभियुक्तगण का नाम व पता

1. रेहान अहमद पुत्र अब्दुल वहाब उम्र करीब 30 वर्ष निवासी सुदेशरा थाना खखरेरु जनपद फतेहपुर

### अभियुक्तगणों से बारामदगी का विवरण

- 1.01 अदद देशी तमन्चा नाजायज 12 बोर
- 2.01 अदद जिन्दा कारतूस नजायज 12 बोर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.30नि0 नरोत्तम सिंह
- 2.30नि0 हरिभूषण सिंह
- 3.का0 बृजेश पाल
- 4.का0 विनीत यादव

### अभियुक्त रेहान अहमद पुत्र अब्दुल वहाब उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

क्रं0सं0	मु0अ0सं0	धारा	चालानी थाना
01	257/14	3/5/8 गो0नि0अधि0 व 11(घ)(ड) पशु क्रुरता अधि0	खखरेरु
02	216/22	3/25 आर्म्स एक्ट	खखरेरु

थाना खखरेरु  
जनपद फतेहपुर